(70)

CAD 11

कार्यालय क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सी.ए.डी. चम्बल, कोटा

क्रमांक : एसीसी/ज.उ.नि.ज/स्था/5(48)/1757-66 दिनांक : 31/7/08

परिपत्र

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 एवं नियम 2002 के तहत सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल, कोटा के अन्तर्गत जल उपयोक्ता संगम के सम्पादित किये जाने वाले निर्वाचन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है –

- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 13(4) के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि मॉगें जाने पर निर्वाचक नामावलियों की प्रतियॉ जनता को **रू. 2 प्रति पृष्ठ की दर** से उपलब्ध करवाई जायेगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप (Security amount) जमा किया जा चुका है, निर्वाचित नहीं होता है और उसे मतदान से प्राप्त वैध मतों की संख्या, सभी अभ्यर्थीयों द्वारा मतदान में **प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या 1/6 (one sixth) से अधिक नहीं है** तो उसका **जमा प्रतिभूति जब्त कर** ली जायेगी।
- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 24 के तहत यह निर्देशित किया जाता है कि जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष/सदस्य पद के निर्वाचन के लिए मतदाता को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र और उससे संलग्न प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर सुभिन्नक चिह्न के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर, हिन्दी में **"ज.उ.स."** अंकित किया हुआ होगा, **से स्टाम्पित करके** और प्रत्येक मतपत्र के पृष्ठ भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा।
- निर्वाचन के दौरान निर्वाचन मतदान/मतगणना अभिकर्ता के नियुक्ति प्ररूप **रू. दो** एवं नाम निर्देशन पत्र **रू. पॉच संदाय** करने पर देय होगा।
- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 32 के अर्न्तगत यह निर्देशित किया जाता है कि मतपत्र और निर्वाचन से संबंधित अन्य अभिलेख एक पात्र में सुरक्षित रखे जायेंगे जिस पर निर्वाचन अधिकारी की सील लगायी जायेगी और उन अभ्यर्थियों की सील लगायी जायेगी जो अपनी सील लगाना चाहते हैं। इस प्रकार एक पात्र में सीलबन्द और सुरक्षित सभी मतपत्र और अन्य निर्वाचन सामग्रियां निर्वाचन अधिकारी द्वारा, मतदान की तारीख से तीन माह की कालावधि तक सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण के लिए परियोजना प्राधिकारी की ओर से नामांकित **अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत सी.ए.डी कोटा** को प्रदान कर दी जायेगी। यदि उस निर्वाचन के संबंध में या उससे संसक्त कोई विवाद परियोजना प्राधिकारी को निदिष्ट नहीं किया जाता है तो तीन माह की उक्त कालावधि के पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी की सील भी परियोजना प्राधिकारी को जमा करवा दी जायेगी।

- जल उपयोक्ता संगम के **मतदाताओं** की **कुल संख्या 1000 से अधिक** होने पर **दो मतदान केन्द्र** बनाए जायेंगे। ऐसी स्थिति में उक्त जल उपयोक्ता संगम के **प्रथम मतदान केन्द्र का निर्वाचन अधिकारी**, रिटर्निंग ऑफिसर के समकक्ष नाम निर्देशन प्राप्त करने, उनकी संवीक्षा करने, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीकों का आवंटन करने, मतपत्र तैयार करने, मतदान की व्यवस्था की देखरेख करने, मतगणना कराने एवं उनका परिणाम घोषित करने का कार्य करेगा।
- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम 2002 के नियम 17(2) व (3) के तहत जल उपयोक्ता संगम की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का **निर्वाचन निम्न कार्यकम** के अनुसार किया जायेगा :–

क्र.सं.	कार्य	मतदान केन्द्र व गांव का नाम	तारीख	समय
1	नाम निर्देशन प्रस्तुत करना	सूचना पृथक से जारी की जायेगी	सूचना पृथक से जारी की जायेगी	प्रात 8.00 बजे से 1.00 बजे अपरान्ह
2	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)			1.00 बजे अपरान्ह से 1.30 बजे अपरान्ह तक
3	विधिमान्य नाम निर्देशनों की सूची का प्रकाशन (**प्ररूप 6**)			2.00 बजे अपरान्ह
4	नाम निर्देशन का वापस लिया जाना			3.00 बजे अपरान्ह
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन (**प्ररूप 7**)			3.30 बजे अपरान्ह
6	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और उसको आंवटित प्रतीकों का प्रकाशन (**प्ररूप 8**)			4.00 बजे अपरान्ह
7	मतदान का समय	सूचना पृथक से जारी की जायेगी	सूचना पृथक से जारी की जायेगी	प्रातः 8.00 से सायं 5.00 बजे तक
8	मतों की गणना			मतदान के तुरन्त पश्चात
9	निर्वाचन का परिणाम			मत गणना पूर्ण होने पर

- **सहायक निर्वाचन अधिकारीयों** द्वारा मतदान के समय निम्नानुसार कार्य किया जायेगा :–
  1. **प्रथम सहायक मतदान अधिकारी** कार्यकारी मतदाता सूची के माध्यम से मतदाता की पहचान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेज के आधार पर करेगा। मतदाता सूची में उस **मतदाता की** पूरी प्रविष्टि को **रेखांकित** व **स्त्री मतदाता** के नाम को **टिक** (√) करेगा तथा सादा पर्ची पर मतदाता का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का कमांक व मतदाता कमांक लिख कर देगा।
  2. **द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी** चिन्हित **मतदाता सूची (सदस्य)** में **मतदाता** के नाम को **रेखांकित** व **स्त्री** मतदाता के नाम को टिक (√) करेगा। साथ ही साथ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के **मतपत्र प्रतिपर्ण पर** मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशानी करवाकर मतपत्र, प्रतिपर्ण से अलग करके देगा। **प्रतिपर्ण पर** मतदाता का **कमांक** भी अंकित करेगा।
  3. **तृतीय सहायक मतदान अधिकारी** चिन्हित **मतदाता सूची (अध्यक्ष)** में **मतदाता** के नाम को **रेखांकित** करेगा व **स्त्री** मतदाता के नाम को **टिक** (√) करेगा। साथ ही साथ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के **मतपत्र प्रतिपर्ण पर** मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे

की निशानी करवाकर मतपत्र, प्रतिपर्ण से अलग करके देगा। **प्रतिपर्ण पर** मतदाता का **कमांक** भी अंकित करेगा।

4. **चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी** मतपेटी का प्रभारी होगा, जो मतदाता के **बांय हाथ** की **तर्जनी** (अंगूठे के पास वाली अंगुली) के नख के बिलकुल ऊपर वाली कोमत चमडी पर **अमिट स्याही का निशान** इस तरह लगायेगा, जिससे अमिट स्याही चमडी व नख पर फैल जाये। **स्त्री मतदाता के हाथ को न छुवें**। तदुपरान्त चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी **ऐरोकॉस मार्कसील** पर दोनों तरफ के कॉसों पर स्टाम्प पेड से स्याही लगाकर मतदाता को देगा। मतदाता को, वोटिंग कम्पार्टमेंट में से **दोनों मतपत्रों पर मत अंकित** कर अलग–अलग मोड़ कर लाने तथा **मतपत्र मतपेटी में ड़ालने** व ऐरोकॉस सील वापस करने हेतु **समझायेगा**।

- मतदान केन्द्र पर छाया, पानी तथा मतदान दल हेतु प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
- मतदान केन्द्र एवं मतदान दलो के ठरहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की होगी।

यह आदेश परियोजना प्राधिकारी एवं क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा के निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त,
सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा

क्रमांक एडीसी/ज.उ.वि.प्र./स्था/5(48)/1757-66 दि. 31/7/08

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई वृत, सी.ए.डी., कोटा।
2. अधिशाषी अभियंता, दांई मुख्य नहर खण्ड–प्रथम, सी.ए.डी.,कोटा/ द्वितीय, सी.ए.डी.अंता, बांई मुख्य नहर खण्ड, सी.ए.डी. बूंदी।
3. सहायक अभियंता.....................................

अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त,
सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल कोटा